

झारखण्ड सरकार
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

--:अधिसूचना:--

राँची, दिनांक : 29/06/2026

सं.सं.-01/स्था.02-01/2026-1375/श्री सच्चिदानन्द द्विवेन्दु तिग्गा (झा.शि.से.-01) (गृह जिला-राँची), प्रशासी पदाधिकारी, झारखण्ड शिक्षा परियोजना परिषद्, राँची को स्थानांतरित करते हुए उनके अपने ही वेतनमान में अगले आदेश तक के लिए सचिव, झारखण्ड अधिविद्य परिषद्, राँची के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

सं.सं.-01/स्था.02-01/2026-1376/श्री मनोज कुमार (झा.शि.से.-02) (गृह जिला-कोडरमा), जिला शिक्षा पदाधिकारी, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर अतिरिक्त प्रभार क्षेत्रीय शिक्षा संयुक्त निदेशक, कोल्हान प्रमंडल, चाईबासा को स्थानांतरित करते हुए उनके अपने ही वेतनमान में अगले आदेश तक के लिए प्रशासी पदाधिकारी, झारखण्ड शिक्षा परियोजना परिषद्, राँची के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

सं.सं.-01/स्था.02-01/2026-1377/श्री आशिष कुमार पाण्डेय (झा.शि.से.-02) (गृह जिला-राँची), अनुमंडल शिक्षा पदाधिकारी, धालभूम, जमशेदपुर, पूर्वी सिंहभूम अतिरिक्त प्रभार जिला शिक्षा अधीक्षक, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर, प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, चाकुलिया, जमशेदपुर, पूर्वी सिंहभूम को स्थानांतरित करते हुए उनके अपने ही वेतनमान में अगले आदेश तक के लिए उप निदेशक, प्राथमिक शिक्षा निदेशालय, झारखण्ड, राँची के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

सं.सं.-01/स्था.02-01/2026-1378/श्री मो० वसीम अहमद (झा.शि.से.-02) (गृह जिला-चतरा), जिला शिक्षा पदाधिकारी, गिरिडीह को स्थानांतरित करते हुए उनके अपने ही वेतनमान में अगले आदेश तक के लिए जिला शिक्षा पदाधिकारी, राँची के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

सं.सं.-01/स्था.02-01/2026-1379/श्रीमती निशु कुमारी (झा.शि.से.-02) (गृह जिला-राँची), प्राचार्य, महिला जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, रातू, राँची को स्थानांतरित करते हुए उनके अपने ही वेतनमान में अगले आदेश तक के लिए जिला शिक्षा पदाधिकारी, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर के पद पर पदस्थापित करते हुए क्षेत्रीय शिक्षा संयुक्त निदेशक, कोल्हान प्रमंडल, चाईबासा का अतिरिक्त प्रभार सौंपा जाता है।

सं.सं.-01/स्था.02-01/2026-1380/श्रीमती दीप्ति कुमारी (झा.शि.से.-02) (गृह जिला-लातेहार), अनुमण्डल शिक्षा पदाधिकारी, राँची अतिरिक्त प्रभार, संयुक्त सचिव, झारखण्ड अधिविद्य परिषद्, राँची को स्थानांतरित करते हुए उनके अपने ही वेतनमान में अगले आदेश तक के लिए जिला शिक्षा पदाधिकारी, खूँटी के पद पर पदस्थापित करते हुए प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (डायट), खूँटी का अतिरिक्त प्रभार सौंपा जाता है।

सं.सं.-01/स्था.02-01/2026-1381/श्री प्रिंस कुमार (झा.शि.से.-02) (गृह जिला-पलामू), जिला शिक्षा पदाधिकारी, लातेहार को स्थानांतरित करते हुए उनके अपने ही वेतनमान में अगले आदेश तक के लिए जिला शिक्षा पदाधिकारी, पश्चिम सिंहभूम, चाईबासा के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

सं.सं.-01/स्था.02-01/2026-1382/श्री कैलाश मिश्र (झा.शि.से.-02) (गृह जिला-चतरा), जिला शिक्षा अधीक्षक, सरायकेला-खरसावाँ अतिरिक्त प्रभार जिला शिक्षा पदाधिकारी, सरायकेला-खरसावाँ, प्राचार्य, महिला जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, गम्हरिया, सरायकेला-खरसावाँ को स्थानांतरित करते हुए उनके अपने ही वेतनमान में अगले आदेश तक के लिए जिला शिक्षा पदाधिकारी, सरायकेला-खरसावाँ के पद पर पदस्थापित करते हुए प्राचार्य, महिला जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, गम्हरिया, सरायकेला-खरसावाँ का अतिरिक्त प्रभार सौंपा जाता है।

कृ.पू.उ.

सं.सं.-01/स्था.02-01/2026-...1383.../श्री संदीप कुमार (झा.शि.से.-02) (गृह जिला-लातेहार), जिला शिक्षा अधीक्षक, पलामू को स्थानांतरित करते हुए उनके अपने ही वेतनमान में अगले आदेश तक के लिए जिला शिक्षा पदाधिकारी, पलामू के पद पर पदस्थापित करते हुए क्षेत्रीय शिक्षा संयुक्त निदेशक, पलामू प्रमण्डल, मेदिनीनगर, पलामू का अतिरिक्त प्रभार सौंपा जाता है।

सं.सं.-01/स्था.02-01/2026-...1384.../श्री गौतम कुमार साहु (झा.शि.से.-02) (गृह जिला-चतरा), जिला शिक्षा अधीक्षक, लातेहार को स्थानांतरित करते हुए उनके अपने ही वेतनमान में अगले आदेश तक के लिए जिला शिक्षा पदाधिकारी, लातेहार के पद पर पदस्थापित करते हुए प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, लातेहार का अतिरिक्त प्रभार सौंपा जाता है।

सं.सं.-01/स्था.02-01/2026-...1385.../श्री जगरनाथ लोहरा (झा.शि.से.-02) (गृह जिला-गुमला), प्राचार्य, महिला जिला एवं प्रशिक्षण संस्थान (डायट), गोविन्दपुर, धनबाद अतिरिक्त प्रभार, जिला शिक्षा पदाधिकारी, बोकारो को स्थानांतरित करते हुए उनके अपने ही वेतनमान में अगले आदेश तक के लिए जिला शिक्षा पदाधिकारी, गढ़वा के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

सं.सं.-01/स्था.02-01/2026-...1386.../श्री अभय कुमार शील (झा.शि.से.-02) (गृह जिला-राँची), जिला शिक्षा अधीक्षक, खूँटी अतिरिक्त प्रभार, प्राचार्य, जिला एवं प्रशिक्षण संस्थान (डायट), खूँटी को स्थानांतरित करते हुए उनके अपने ही वेतनमान में अगले आदेश तक के लिए जिला शिक्षा पदाधिकारी, रामगढ़ के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

सं.सं.-01/स्था.02-01/2026-...1387.../श्री मुकुल राज (झा.शि.से.-02) (गृह जिला-हजारीबाग), जिला शिक्षा अधीक्षक, गिरिडीह अतिरिक्त प्रभार, अनुमण्डल शिक्षा पदाधिकारी, गिरिडीह को स्थानांतरित करते हुए उनके अपने ही वेतनमान में अगले आदेश तक के लिए जिला शिक्षा पदाधिकारी, कोडरमा के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

सं.सं.-01/स्था.02-01/2026-...1388.../श्री संजीत कुमार (झा.शि.से.-02) (गृह जिला-चतरा), जिला शिक्षा अधीक्षक, रामगढ़ को स्थानांतरित करते हुए उनके अपने ही वेतनमान में अगले आदेश तक के लिए जिला शिक्षा पदाधिकारी, दुमका के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

सं.सं.-01/स्था.02-01/2026-...1389.../श्रीमती कुमारी नीलम (झा.शि.से.-02) (गृह जिला-बोकारो), जिला शिक्षा पदाधिकारी, रामगढ़ को स्थानांतरित करते हुए उनके अपने ही वेतनमान में अगले आदेश तक के लिए जिला शिक्षा पदाधिकारी, हजारीबाग के पद पर पदस्थापित करते हुए क्षेत्रीय शिक्षा संयुक्त निदेशक, उत्तरी छोटानागपुर प्रमण्डल, हजारीबाग का अतिरिक्त प्रभार सौंपा जाता है।

सं.सं.-01/स्था.02-01/2026-...1390.../श्री विनय कुमार (झा.शि.से.-02) (गृह जिला-पूर्वी सिंहभूम), जिला शिक्षा पदाधिकारी, राँची को स्थानांतरित करते हुए उनके अपने ही वेतनमान में अगले आदेश तक के लिए जिला शिक्षा पदाधिकारी, गिरिडीह के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

सं.सं.-01/स्था.02-01/2026-...1391.../श्रीमती कंचन कुमारी (झा.शि.से.-02) (गृह जिला-हजारीबाग), क्षेत्र शिक्षा पदाधिकारी, जयनगर, कोडरमा अतिरिक्त प्रभार क्षेत्र शिक्षा पदाधिकारी, कोडरमा, प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, बगोदर, गिरिडीह को स्थानांतरित करते हुए उनके अपने ही वेतनमान में अगले आदेश तक के लिए जिला शिक्षा पदाधिकारी, चतरा के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

सं.सं.-01/स्था.02-01/2026-...1392.../श्री प्रवीण रंजन (झा.शि.से.-02) (गृह जिला-रामगढ़), जिला शिक्षा पदाधिकारी, हजारीबाग अतिरिक्त प्रभार क्षेत्रीय शिक्षा संयुक्त निदेशक, उत्तरी छोटानागपुर प्रमण्डल, हजारीबाग को स्थानांतरित करते हुए उनके अपने ही वेतनमान में अगले आदेश तक के लिए जिला शिक्षा पदाधिकारी, बोकारो के पद पर पदस्थापित किया जाता है।



सं.सं.-01 / स्था.02-01 / 2026-...1393... / श्री नयन कुमार (झा.शि.से.-02) (गृह जिला-दुमका), जिला शिक्षा अधीक्षक, पाकुड़ को स्थानांतरित करते हुए उनके अपने ही वेतनमान में अगले आदेश तक के लिए जिला शिक्षा पदाधिकारी, साहेबगंज के पद के पद पर पदस्थापित करते हुए प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, बरहेट, साहेबगंज का अतिरिक्त प्रभार सौंपा जाता है।

श्री दुर्गानन्द झा, जिला शिक्षा पदाधिकारी, साहेबगंज अतिरिक्त प्रभार, क्षेत्रीय शिक्षा संयुक्त निदेशक, संथाल परगना प्रमण्डल, दुमका के दिनांक-30.06.2026 को निर्धारित वार्धक्य सेवानिवृत्ति के बाद यह आदेश प्रभावी होगा।

सं.सं.-01 / स्था.02-01 / 2026-...1394... / श्री सुरेश महतो (झा.शि.से.-02) (गृह जिला-बोकारो), अनुमण्डल शिक्षा पदाधिकारी, जामताड़ा अतिरिक्त प्रभार प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (डायट), पबिया, जामताड़ा, प्रतिनियुक्त, झारखण्ड शिक्षा परियोजना परिषद्, राँची को स्थानांतरित करते हुए उनके अपने ही वेतनमान में अगले आदेश तक के लिए जिला शिक्षा अधीक्षक, खूँटी के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

सं.सं.-01 / स्था.02-01 / 2026-...1395... / सुश्री जूही रानी (झा.शि.से.-02) (गृह जिला-हजारीबाग), क्षेत्र शिक्षा पदाधिकारी, राँची को स्थानांतरित करते हुए उनके अपने ही वेतनमान में अगले आदेश तक के लिए जिला शिक्षा अधीक्षक, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

सं.सं.-01 / स्था.02-01 / 2026-...1396... / सुश्री शालिनी डुंगडुंग (झा.शि.से.-02) (गृह जिला-सिमडेगा), क्षेत्र शिक्षा पदाधिकारी, मनोहरपुर, पश्चिम सिंहभूम अतिरिक्त प्रभार प्राचार्य, क्षेत्र शिक्षा पदाधिकारी, चक्रधरपुर, पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा को स्थानांतरित करते हुए उनके अपने ही वेतनमान में अगले आदेश तक के लिए जिला शिक्षा अधीक्षक, धनबाद के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

सं.सं.-01 / स्था.02-01 / 2026-...1397... / श्री सुभाष अनुराग एक्का (झा.शि.से.-02) (गृह जिला-गुमला), क्षेत्र शिक्षा पदाधिकारी, महगामा, गोड्डा को स्थानांतरित करते हुए उनके अपने ही वेतनमान में अगले आदेश तक के लिए जिला शिक्षा अधीक्षक, पलामू के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

सं.सं.-01 / स्था.02-01 / 2026-...1398... / श्री ऋषिकेश कुमार (झा.शि.से.-02) (गृह जिला-चतरा), क्षेत्र शिक्षा पदाधिकारी, गारू, लातेहार अतिरिक्त प्रभार प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, लातेहार को स्थानांतरित करते हुए उनके अपने ही वेतनमान में अगले आदेश तक के लिए जिला शिक्षा अधीक्षक, लातेहार के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

सं.सं.-01 / स्था.02-01 / 2026-...1399... / श्रीमती खुशबू (झा.शि.से.-02) (गृह जिला-राँची), अनुमण्डल शिक्षा पदाधिकारी, रामगढ़ प्रतिनियुक्त विद्या समीक्षा केन्द्र, झारखण्ड, राँची को स्थानांतरित करते हुए उनके अपने ही वेतनमान में अगले आदेश तक के लिए जिला शिक्षा अधीक्षक, रामगढ़ के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

सं.सं.-01 / स्था.02-01 / 2026-...1400... / श्री अमित कुमार (झा.शि.से.-02) (गृह जिला-दुमका), अनुमण्डल शिक्षा पदाधिकारी, खूँटी को स्थानांतरित करते हुए उनके अपने ही वेतनमान में अगले आदेश तक के लिए जिला शिक्षा अधीक्षक, सरायकेला-खरसावाँ के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

सं.सं.-01 / स्था.02-01 / 2026-...1401... / श्री आशिष कुमार हेम्ब्रम (झा.शि.से.-02) (गृह जिला-गोड्डा), जिला शिक्षा अधीक्षक, दुमका अतिरिक्त प्रभार प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (डायट), दुमका को स्थानांतरित करते हुए उनके अपने ही वेतनमान में अगले आदेश तक के लिए जिला शिक्षा अधीक्षक, गिरिडीह के पद पर पदस्थापित किया जाता है।



सं.सं.-01/स्था.02-01/2026-1402/श्री लक्ष्मण यादव (झा.शि.से.-02) (गृह जिला-बोकारो), अनुमण्डल शिक्षा पदाधिकारी, साहेबगंज अतिरिक्त प्रभार प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, बरहेट, साहेबगंज को स्थानांतरित करते हुए उनके अपने ही वेतनमान में अगले आदेश तक के लिए जिला शिक्षा अधीक्षक, दुमका के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

सं.सं.-01/स्था.02-01/2026-1403/सुश्री उर्मिला हाँसदा (झा.शि.से.-02) (गृह जिला-देवघर), क्षेत्र शिक्षा पदाधिकारी, बरहेट, साहेबगंज को स्थानांतरित करते हुए उनके अपने ही वेतनमान में अगले आदेश तक के लिए जिला शिक्षा अधीक्षक, साहेबगंज के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

सं.सं.-01/स्था.02-01/2026-1404/श्रीमती प्रियाश्री भगत (झा.शि.से.-02) (गृह जिला-राँची), क्षेत्र शिक्षा पदाधिकारी, पालकोट, गुमला अतिरिक्त प्रभार प्राचार्य, महिला जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (डायट), गुमला को स्थानांतरित करते हुए उनके अपने ही वेतनमान में अगले आदेश तक के लिए जिला शिक्षा अधीक्षक, पाकुड़ के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

सं.सं.-01/स्था.02-01/2026-1405/श्रीमती अपरूपा पॉल चौधरी (झा.शि.से.-02) (गृह जिला-राँची), जिला शिक्षा पदाधिकारी, खूँटी को स्थानांतरित करते हुए उनके अपने ही वेतनमान में अगले आदेश तक के लिए प्राचार्य, महिला जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, रातू, राँची के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

सं.सं.-01/स्था.02-01/2026-1406/श्री टोनी प्रेमराज टोप्पो (झा.शि.से.-02) (गृह जिला-लोहरदगा), जिला शिक्षा पदाधिकारी, पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा को स्थानांतरित करते हुए उनके अपने ही वेतनमान में अगले आदेश तक के लिए प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, चाकुलिया, जमशेदपुर, पूर्वी सिंहभूम के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

सं.सं.-01/स्था.02-01/2026-1407/श्री सौरभ प्रकाश (झा.शि.से.-02) (गृह जिला-खूँटी), जिला शिक्षा पदाधिकारी, पलामू अतिरिक्त प्रभार प्राचार्य, क्षेत्रीय शिक्षा संयुक्त निदेशक, पलामू प्रमण्डल, मेदिनीनगर, पलामू को स्थानांतरित करते हुए उनके अपने ही वेतनमान में अगले आदेश तक के लिए प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (डायट), दुमका के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

सं.सं.-01/स्था.02-01/2026-1408/श्री कैसर रजा (झा.शि.से.-02) (गृह जिला-चतरा), जिला शिक्षा पदाधिकारी, गढ़वा को स्थानांतरित करते हुए उनके अपने ही वेतनमान में अगले आदेश तक के लिए प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (डायट), जसीडीह, देवघर के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

सं.सं.-01/स्था.02-01/2026-1409/श्री अविनाश राम (झा.शि.से.-02) (गृह जिला-रामगढ़), जिला शिक्षा पदाधिकारी, कोडरमा को स्थानांतरित करते हुए उनके अपने ही वेतनमान में अगले आदेश तक के लिए प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, बगोदर, गिरिडीह के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

सं.सं.-01/स्था.02-01/2026-1410/श्री दिनेश कुमार मिश्र (झा.शि.से.-02) (गृह जिला-पलामू), जिला शिक्षा पदाधिकारी, चतरा को स्थानांतरित करते हुए उनके अपने ही वेतनमान में अगले आदेश तक के लिए प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (डायट), गोविन्दपुर, धनबाद के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

सं.सं.-01/स्था.02-01/2026-1411/श्री भूतनाथ रजवार (झा.शि.से.-02) (गृह जिला-बोकारो), जिला शिक्षा पदाधिकारी, दुमका को स्थानांतरित करते हुए उनके अपने ही वेतनमान में अगले आदेश तक के लिए संयुक्त सचिव, झारखण्ड अधिविद्य परिषद्, राँची के पद पर पदस्थापित किया जाता है।



सं.सं.-01/स्था.02-01/2026-1412/श्री आयुष कुमार (झा.शि.से.-02) (गृह जिला-चतरा), जिला शिक्षा अधीक्षक, धनबाद को स्थानांतरित करते हुए उनके अपने ही वेतनमान में अगले आदेश तक के लिए प्राचार्य, महिला जिला एवं प्रशिक्षण संस्थान, हजारीबाग के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

सं.सं.-01/स्था.02-01/2026-1413/श्री कुमार हर्ष (झा.शि.से.-02) (गृह जिला-बोकारो), जिला शिक्षा अधीक्षक, साहेबगंज को स्थानांतरित करते हुए उनके अपने ही वेतनमान में अगले आदेश तक के लिए संयुक्त सचिव, झारखण्ड अधिविद्य परिषद्, राँची के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

सं.सं.-01/स्था.02-01/2026-1414/सुश्री कविता खलखो (झा.शि.से.-02) (गृह जिला-राँची), जिला शिक्षा पदाधिकारी, गुमला अतिरिक्त प्रभार अनुमण्डल शिक्षा पदाधिकारी, गुमला को प्राचार्य, महिला जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (डायट), गुमला का अतिरिक्त प्रभार सौंपा जाता है।

सं.सं.-01/स्था.02-01/2026-1415/श्री चार्ल्स हेम्ब्रम (झा.शि.से.-02) (गृह जिला-हजारीबाग), जिला शिक्षा पदाधिकारी, जामताड़ा को प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (डायट), पबिया, जामताड़ा का अतिरिक्त प्रभार सौंपा जाता है।

2. यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।


3. इस अधिसूचना से प्रभावित प्रभार रहित पदाधिकारी अन्यत्र पदस्थापन के लिए विभाग (मुख्यालय) में योगदान देंगे।

4. कार्यहित में अन्तरिम व्यवस्था के अन्तर्गत अपने मौलिक पद से उच्चतर पद पर अपने ही वेतनमान में पदस्थापित पदाधिकारी की उच्चतर पद के लिए वेतन का दावा मान्य नहीं होगा। यह व्यवस्था बिल्कुल अस्थायी है, जिसे किसी भी समय बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त किया जा सकता है।

5. उपरोक्त स्थानांतरित एवं पदस्थापित पदाधिकारीगण अपने-अपने पदों का प्रभार का आदान-प्रदान सुनिश्चित करते हुए प्रशासी विभाग को अवगत कराना सुनिश्चित करेंगे।

6. इस पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,



(अरशद जमाल)

सरकार के अवर सचिव।

राँची, दिनांक: 29/06/2026

ज्ञापांक : सं.सं.-01/स्था.02-01/2026-1415

प्रतिलिपि:- अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, डोरण्डा, राँची को राजकीय अंक में प्रकाशनार्थ/नोडल पदाधिकारी, ई-गजट, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखण्ड, राँची को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।



सरकार के अवर सचिव।

राँची, दिनांक: 29/06/2026

ज्ञापांक : सं.सं.-01/स्था.02-01/2026-1415

प्रतिलिपि:- प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), झारखण्ड का कार्यालय, राँची/अवर सचिव, वित्त (वै.दा.नि.को.) विभाग, झारखण्ड, राँची/सभी कोषागार पदाधिकारी, झारखण्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।



सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक : सं.सं.—01 / स्था.02—01 / 2026...1415

राँची, दिनांक: 29/06/2026

प्रतिलिपि:— माननीय राज्यपाल, झारखण्ड के प्रधान सचिव / माननीय मुख्यमंत्री, झारखण्ड के प्रधान सचिव / माननीय मुख्य (विभागीय) मंत्री के आप्त सचिव / मुख्य सचिव कार्यालय, झारखण्ड के संयुक्त सचिव / सभी विभाग / सभी विभागाध्यक्ष, झारखण्ड / विभागीय सचिव के आप्त सचिव / निदेशक, प्राथमिक शिक्षा / माध्यमिक शिक्षा, झारखण्ड, राँची / राज्य परियोजना निदेशक, झारखण्ड शिक्षा परियोजना परिषद्, राँची / निदेशक, झारखण्ड शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्, राँची / निदेशक, झारखण्ड मध्याह्न भोजन प्राधिकरण, राँची / सभी संबंधित आयुक्त / उपायुक्त, झारखण्ड / अध्यक्ष, झारखण्ड शिक्षा न्यायाधिकरण, राँची / सचिव, झारखण्ड अधिविद्य परिषद्, राँची / सभी संयुक्त सचिव / उप सचिव / अवर सचिव, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखण्ड, राँची / सभी संबंधित क्षेत्रीय शिक्षा संयुक्त निदेशक, झारखण्ड / सभी संबंधित जिला शिक्षा पदाधिकारी एवं जिला शिक्षा अधीक्षक, झारखण्ड / सभी अनुमण्डल शिक्षा पदाधिकारी / सभी क्षेत्र शिक्षा पदाधिकारी, झारखण्ड, राँची / सभी प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान एवं महिला जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, झारखण्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।



सरकार के अवर सचिव।